भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1620

सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

खानों का बंद होना

1620. डॉ. मोहम्मद जावेद:
श्री बैन्नी बेहनन:
श्री विनसेंट एच. पाला:
श्री प्रद्युत बोरदोलोई:
श्री टी.एन. प्रथापन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में खानों के बंद होने के कारण लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान खानों के बंद होने के कारण कितने कामगारों ने अपनी नौकरी खो दी है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी आजीविका और कल्याण को ध्यान में रखते हुए ऐसे श्रमिकों को इसकी क्षति पूर्ति करने और उनकी नौकरी पुन: बहाल करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): खान अधिनियम**,** 1952 के तहत बनाए गए कोयला खान विनियम 2017 के विनियम 5 और धातु खान विनियम 1961 के विनियम 6 के अनुसार**,** खान के मालिक**,** एजेंट या प्रबंधक को किसी खदान को बंद करने के लिए, खदान बंद करने की सूचना खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस**)** को प्रस्तुत करनी होगी। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान झारखंड राज्य में पत्थर की छोटी खदानों को बंद करने के नौ नोटिस डीजीएमएस को प्रस्तुत किए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार उक्त खानों में नियोजित **93** व्यक्तियों को खानों के बंद होने के कारण अपनी नौकरी गंवानी पड़ी।

(ग) और (घ): कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के अनुसार कामगारों को संबंधित खान प्रबंधन द्वारा प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

****